यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी के माह 08/2017 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव व श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अ धकारिओ द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 11/01/2018 एवं श्री निरज चुंगू, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः प्रथम लेखापरीक्षा।

   (ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद नैनीताल व उधम संह नगर के अन्तर्गत लो.नि. व. के कार्यों का सुपर वजन।

   (iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थाप ना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	8793088	8793088	-	-	-	-
2017-18	-	-	17378039	13265794	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
	शून्य				

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो.नि. व.

↓

प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो.नि. व., उत्तराखण्ड

↓

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व., उत्तराखण्ड

↓

अधीक्षण अ भयन्ता ,लो.नि. व.

↓

अ धशासी अ भयन्ता,लोक निर्माण वभाग

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी के माह माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **02/**2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर- (1) कार्यों पर समय वृद्ध प्रदान करने हेतु एस. बी. डी. मे अनिय मत अ धकारो का निर्धरण कया जाना।

शासन के पत्र संख्या 928/III(2)14-75(सा.)/200 टी.सी. दिनांक 10/02/2014 द्वारा ई प्रॉक्यूरमेंट पद्ति के अंतर्गत नि वदा प्र क्रया में एक रूपता लाने हेतु **Standard Bidding document** (एस. बी. डी.) लागू करने के लये प्रमुख अ भंयता एंव वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, द्वारा पत्र संख्या 520/24 सा. प्र./14 दिनांक 01/05/2015 द्वारा निर्दे शत कया गया था क उक्त ति थ दिनांक 24/02/2014 के पश्चात `**1.50** करोड़ से अ धक कार्यों क जो भी नि वदा आमंत्रित क जाएगी उनमें अनुबन्ध मे एस.बी.डी ही लगाई जाये।

कार्यालय मुख्य अ भयंता, लो.नि. व., हल्द्वानी के अ भलेखों की जांच में पाया गया क उपरोक्त निर्देशों के क्रम मे अधीक्षण अ भयंता/अ धशासी अ भयंता द्वारा `**1.50** करोड़ से अ धक कार्यों हेतु एस.बी.डी. के माध्यम से नि वदा तो आंमत्रित की ले कन अनुबन्ध में एस. बी. डी. क्लॉज 06 व 07 को भाग न बनाकर जी.पी. डबल्यू 09 मे समय वृद्ध हेतु प्र वधान कये गये थे। जो उ चत नहीं है व उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों क वरुद था। आगे कार्यालय के अ भलेखों एंव पत्रावली मे पाया गया क कई कार्य पर दोनों जी.पी. डबल्यू-09 व एस.बी.डी लगाये गये थे ले कन इन कार्यों पर समय वृद्ध **delegation of powers 2010** व जी.पी.डबल्यू-9 मे दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं दिया था क्यो क एस.बी.डी के अनुसार सक्षम अ धकारी मुख्य अ भयंता (दो करोड़ के ऊपर के कार्यों हेतु **accepting authority of tender**) के वरुद्ध अ धशासी अभीयन्ता से समय वृद्ध प्राप्त कए जाने के अ धकार प्राप्त थे(**as per the definition of Engineer given in PCC)** उक्त का संज्ञान लेते हुये वभागाध्यक्ष द्वारा अनुबन्ध गठित करने वाले अ धकारी अधीक्षण को समय वृद्ध प्रधान करने की शक्ति दी जो क **delegation of powers 2010** (` 2 करोड़ के ऊपर कार्यों हेतु) व जी.पी.डबल्यू-9 के क्लॉज 7 मे दिये गये प्रावधानों[1] के वरूद्ध भी है क्यो क `1.50 करोड़ से कम के कार्यों मे मुख्य अ भयंता स्तर से समय वृद्ध प्राप्त कए जाने के प्रावधान है जब क 2 करोड़ से ऊपर कार्यों में एस.बी.डी में दिये गये प्रावधान वपरीत हे जिसके अनुसार मुख्य अ भयन्ता को समय वृद्ध प्रदान करने का अ धकार की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गयी है।

इस ओर इं गत कये जाने पर कार्यलय द्वारा अवगत कराया गया क एस.बी.डी. मे **Engineer** की **Definition** के अनुसार ` 1.50 करोंड व उससे अ धक कार्यों के लए समय वृद्ध प्रदान करने के लए अ धशासी अ भयंता सक्षम हे ले कन प्रमुख अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, देहारादून के पत्रांक-614/24(2) याता.(क)/2017 दिनांक-10/10/2017 से दिये गए निर्देशानुसार अधीक्षण अ भयंता द्वारा समयवृद्ध स्वीकृति की कार्यवाही की गयी। उत्तर

[1] The cases of the extension of the time beyond the time schedule as per milestone shall be submitted to the authority nest higher to the officer accepting the contract on behalf of the Government provide that the extension of time should be limited to 50% of the total period of that particular miles stone. In case this period exceeds more than-50%, it shall be submitted to authority next to next higher to the office accepting the contract as the case may be.

तर्कसंगत नहीं था क्यो क एस.बी.डी. मे सक्षम अ धकारी मुख्य अ भयंता (दो करोड़ के ऊपर से कार्यों हेतू **accepting authority of tender)** के वरूद्ध अ धशासी अ भयन्ता से समय वृद् ध प्राप्त कए जाने के अ धकार प्राप्त थे **(as per the definition of Engineer given in PCC)** उक्त का संज्ञान लेते हुये वभागाध्यक्ष द्वारा अनुबन्ध गठित करने वाले अ धकारी अधीक्षण अ भयन्ता को समय वृद् ध प्रदान करने की शक्ति दी जो क **delegation of powers 2010** (` 2 करोड़ के ऊपर कार्यों हेतु) व जी.पी.डबल्यू-9 के क्लॉज 7 मे दिये गये प्रावधानों[2] के वरूद्ध भी है क्यो क `1.50 करोड़ से कम के कार्यों मे मुख्य अ भयंता स्तर से समय वृद् ध प्राप्त कए जाने के प्रावधान है जब क 2 करोड़ से ऊपर कार्यों में एस.बी.डी में दिये गये प्रावधान वपरीत हे जिसके अनुसार मुख्य अ भयन्ता को समय वृद् ध प्रदान करने का अ धकार की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गयी है।

अत कार्यों पर समय वृद् ध प्रदान करने हेतु एस.बी.डी. मे अनिय मयत अ धकारो के निर्धारण कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

[2] The cases of the extension of the time beyond the time schedule as per milestone shall be submitted to the authority nest higher to the officer accepting the contract on behalf of the Government provide that the extension of time should be limited to 50% of the total period of that particular miles stone. In case this period exceeds more than-50%, it shall be submitted to authority next to next higher to the office accepting the contract as the case may be.

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
	प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	NA			

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य**:-**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   1) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धशासी अ भयन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
श्री बी.सी.बिनवाल	मुख्य अ भयन्ता	28/12/2013	से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत है क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑ फस-कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

व.लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक क्षेत्र-2